Amarujala

सहायक शिक्षक भर्ती : अपील करने वाले 6 शिक्षामित्रों को राहत

हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को होने वाली परीक्षा में शामिल करने का दिया आदेश

लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2017 के परिणाम का इंतजार कर रहे 6 शिक्षामित्रों को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरिम राहत दी है। अदालत ने इन्हें सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। इन शिक्षामित्रों ने विशेष अपील दायर कर राहत मांगी थी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सौरभ लवानिया ने अपने आदेश में साफ किया कि यह आदेश केवल छह अपीलकर्ताओं के लिए ही है। इन्हें अस्थायी तौर पर परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार और परीक्षा प्राधिकारी उचित कदम उठाएं, लेकिन इनके परिणाम अभी जारी न करें। परीक्षा में शामिल होने देने का निर्देश भी अस्थायी है और विशेष अपील पर अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। अदालत ने कहा कि याची परीक्षा में शामिल होने की अंतरिम राहत चाहते हैं।